न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 206/20 दायरा दिनांक :–21.09.2020 निर्णय दिनांक :– 09.04.2021

1. राजेन्द्र पुत्र रामसिंह
2. संदीप कुमार पुत्र जयसिंह
3. रिंकू पुत्र जयसिंह
4. किताब देवी पत्नी जयसिंह जातियान जाट निवासीयान बिरोद तहसील मुण्डावर।
5. मनीषा पुत्री जयसिंह पत्नी मनोज कुमार निवासी बिरोद हाल शीलगॉव तहसील मुण्डावर, अलवर, राज0

..........वादीगण

बनाम

6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति – श्री अशोक चौधरी प्रथम– वकील वादीगण।

–:निर्णयः–

दिनांक :– 09.04.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0न0 622/0.29 है0 वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर में स्थित होकर रघुवीर पुत्र प्रहलाद जाति राजपूत निवासी लामचपुर के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसे जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 18.06.1985 को श्रीराम पुत्र अर्जुन 1/2 निष्फ व मिनवादी संख्या 1 राजेन्द्र एवम वादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति जयसिंह ने खरीद किया था तथा वादीगण [illegible] अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नहीं है इसलिए उन्हे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड में बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करते समय खिलाफ मौका, खिलाफ कानून मिनवादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति के नाम के आगे निष्फ शब्द को निब्बू दर्ज कर दिया। इस अंकन के रिकॉर्ड में दर्ज रहने से मिनवादीगण को भारी नुकसान हो रहा है तथा आराजी का समुचित तरीके से उपयोग, उपभोग करने से वंचित हो रहे है तथा निब्बू नाम का कोई भी व्यक्ति हम वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:26:49 IST
Reason: SelfAttested

१४६
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

के परिवार में नहीं है और ना ही निब्बू नाम बैयनामा में अंकित है। आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक इस अमर की पारित की जावे कि विवादित आराजी के 1/2 भाग में मिनवादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता जयसिंह के नाम के आगे दर्ज निब्बू शब्द को हजफ कर रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी जवाब पैरोकार सरकार पेश होकर शामिल पत्रावली है। मुताबिक जवाब पैरोकार वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे अंकित कर पेश हो। वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में नकल हाल जमाबंदी, नकल इंतकाल नंबर 135 वाके ग्राम लामचपुर, नकल बैयनामा दिनांक 04.09.20 एवम मृत्यु प्रमाण पत्र जयसिंह की छायाप्रति एवम शपथ पत्र श्रीराम पेश किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्रों के जिमनों को दोहराते हुये विवादित आराजी वादी संख्या 1 एवम वादीगण 2 लगायत 5 के पिता/पति जयसिंह की जरिये बैयनामा दिनांक 18.06.1985 खरीदशुदा आराजी होना एवम मुताबिक बैयनामा हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद न होकर मिन वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति जयसिंह के नाम के साथ निब्बू शब्द को हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा का अभिकथन किया।

वकील वादी की बहस सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी हाल ख0न0 622/0.29 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति के नाम के आगे दर्ज निब्बू शब्द को हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:26:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०

यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 206/20 दायरा दिनांक :—21.09.2020 पर्चा डिक्री दिनांक :— 09.04.2021

1. राजेन्द्र पुत्र रामसिंह
2. संदीप कुमार पुत्र जयसिंह
3. रिंकू पुत्र जयसिंह
4. किताब देवी पत्नी जयसिंह जातियान जाट निवासीयान बिरोद तहसील मुण्डावर।
5. मनीषा पुत्री जयसिंह पत्नी मनोज कुमार निवासी बिरोद हाल शीलगॉव तहसील मुण्डावर, अलवर, राज0

.... वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

.... प्रतिवादी

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री अशोक चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 09.04.2021** को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती हैः—**

वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी हाल ख0न0 622/0.29 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति के नाम के आगे दर्ज निब्बू शब्द को हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, जिला अलवर राज0

Signature Not Verified

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.04.2021 को लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:26:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, जिला अलवर राज0